

23-1-19

पञ्जाबली पेश हुई।
वकील अर्थात् इफ्तखार मूल दाखिल के साथ
दिये 23-1-19 को पेश है।

.....
दस्तावेजों के साथ पेश की जाने वाली
पञ्जाबली पेश 18-1-19 को पेश की गई।

18-1-19

पञ्जाबली पेश हुई।
वकील अर्थात् इफ्तखार मूल दाखिल के साथ
दिये 23-1-19 को पेश है।

23-1-19

पञ्जाबली पेश हुई।
वकील अर्थात् इफ्तखार मूल दाखिल का निर्णय
हो जाने से इस स्थिति में अर्चना पत्र का
कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उक्त
पञ्जाबली दाखिल के साथ दाखिल
दस्तावेज है।

.....
.....